भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1090

जिसका उत्तर सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक) को दिया गया

गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से ऋण

1090. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कभी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और राष्ट्रीयकृत/वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या के संबंध में मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि कुछ गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में ऋण पर लगभग दोगुनी ब्याज दर वसूल रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की सूचना के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में दिनांक 31.3.2024 की स्थिति के अनुसार कुल 36,84,50,351 व्यक्तिगत ऋण खाते थे, जबकि एनबीएफसी के संबंध में तदनुरूपी आंकड़े इसके द्वारा नहीं रखे जाते हैं। तथापि, विगत तीन वित्तीय वर्ष के लिए एनबीएफसी और एससीबी का बकाया सकल ऋण और अग्रिम का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ रुपए में)

	दिनांक 31.3.2022 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.3.2023 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.3.2024 की स्थिति के अनुसार
एनबीएफसी	29,99,717	34,77,545	41,01,224
एससीबी	1,27,50,006	1,47,57,129	1,75,08,086

बैंकों और एनबीएफसी जैसे विभिन्न विनियमित उधारदाताओं द्वारा उनके बोर्ड से अनुमोदित नीतियों के अनुसार और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अंतर्गत ऋण और अग्रिमों पर ब्याज दर प्रभारित की जाती है। यह विभिन्न कारकों जैसे निधि की लागत, परिचालन लागत, उधारकर्ता की ऋण योग्यता, उधारकर्ताओं की जोखिम प्रोफाइल, संपार्श्विक की उपलब्धता और प्रकार/गुणवत्ता, उधारदाता की व्यवसाय संबंधी कार्यनीति, बाज़ार प्रतिस्पर्धा, इक्विटी पर अपेक्षित प्रतिफल आदि पर निर्भर करती है। ये कारक सभी उधारदाताओं/ऋणों/उधारकर्ताओं के लिए एक समान नहीं होते हैं और इसलिए विभिन्न उधारदाताओं द्वारा प्रभारित ब्याज दरों में अंतर होता है।

आरबीआई ने एनबीएफसी द्वारा अपने ऋणों और अग्रिमों पर लगाई जाने वाली ब्याज दरों को अविनियमित कर दिया है। एनबीएफसी द्वारा प्रभारित ब्याज दर उधारकर्ता और एनबीएफसी के बीच किए गए ऋण करार के निबंधन एवं शर्तों द्वारा अभिशासित होती है। रिज़र्व बैंक द्वारा अग्रिम के संबंध में जारी किए गए विनियमों का उद्देश्य निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, एनबीएफसी से अपेक्षा की गई है कि वे संबंधित कारकों जैसे निधियों की लागत, मार्जिन और जोखिम प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए एक ब्याज दर मॉडल अपनाएं और ऋण और अग्रिम के लिए प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर का निर्धारण करें। उधारकर्ताओं अथवा ग्राहकों को ब्याज दर और विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं को ब्याज की विभिन्न दरें प्रभारित करने के औचित्य को आवेदन पत्र में दर्शाया जाना है और स्वीकृति पत्र में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना है। इसके अतिरिक्त, एनबीएफसी के बोर्ड से अपेक्षा की गई है कि वे ब्याज दरों के निर्धारण के लिए उपयुक्त आंतरिक सिद्धांत और प्रक्रियाएं तैयार करें।

*****